न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :-245/2021
प्रकरण निर्णय दिनांकः-27.09.2023

उनवान-1. जौहरीलाल
2. बद्रीप्रसाद
} पुत्रान सोन्या जाति बैरवा निवासी मुकरपुरा तह. बसवा जिला दौसा

बनाम

1. गैंदा पुत्र सोन्या
2. रमेश चन्द
3. प्रेमचन्द
4. जगन्नाथ
5. रामरतन

} पुत्रान स्व. गोविन्दा जाति बैरवा निवासी मुकरपुरा तह. बसवा जिला दौसा

6. बाबूलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी मुकरपुरा तह. बसवा
7. राजस्थान सरकार तहसीलदार बसवा जरिये लैण्ड होल्डर तहसील बसवा जिला दौसा
8. उप पॅजीयन अधिकारी उप पॅजीयक कार्यालय तह. बसवा।

दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

"प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा. दी."

निर्णय दिनांक 27.09.2023

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 लगा. 5 को प्रकरण सं. 205/2006 गोविन्दा बनाम गैंदा वगै. की पूर्ण जानकारी रही है। एवं दिनांकः 13.04.2009 को डिक्री हो चुका है। इसके बावजूद प्रार्थी से रंजिस वश उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश किया किया है। तथा किसी भी प्रकार से वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए दावा खारिज किये जाने योग्य है। उक्त दावा वादीगण ने केवल प्रतिवादी सं. 01/प्रार्थी को हैरान परेशान करने एवं न्यायालय हाजा का समय जाया करने के लिए प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त सम्पत्ति का मुकदमा पूर्व में निस्तारण होने तथा एक ही भूमि का पुनः वाद प्रस्तुत करने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। तथा विधिवत सहमति से तकास्मा किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत कर कर निवेदन है कि दावा खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करें।

वादीगण ने जर्ये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण जो पूर्व में गोविन्दा बनाम गैंदा का चला था जिसका निर्णय एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर दिनांकः 30.08.2008 व निर्णय दिनांकः 13.04.2009 की जानकारी वादीगण को नहीं रही उस वक्त वादी ने साज करके एकपक्षीय कार्यवाही विपक्षीगण के विरूद्ध करवाकर न्यायालय हाजा से डिक्री करवा लिया जिसकी जानकारी होते ही वादीगण ने उक्त निर्णय व डिक्री की नकल लेकर राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ जयपुर खण्ड कैम्प बाँदीकुई के यहाँ पेश की गयी। उक्त अपील में निर्णय दिनांकः 21.09.2015 के आदेश अपील संख्या 86/2010 गोविन्दा बनाम गैंदा की अपील में निर्णय दिनांकः 21.09.2015 के द्वारा एस.डी.ओ. कोर्ट बाँदीकुई का निर्णय दिनांकः 30.08.2008 व 13.04.2009 को राजस्व अपील अधिकारी एवं पदेन भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर कैम्प बाँदीकुई के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया कि अंतिम

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

निर्णय व डिक्री दिनांकः 30.08.2009 व 13.04.2009 निरस्त किये जाते हैं जो प्रकरण इस आशय के साथ विचारण न्यायालय को इस निर्देशन के साथ प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष को तलब कर पूर्ण सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर प्रारम्भिक व अन्तिम निर्णय पारित करें। इस कारण गैंदा बनाम गोविंदा का निर्णय अपील अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था इस बात की जानकारी पक्षकारान को होते हुये भी सही तथ्य को छिपाया है व न्यायालय हाजा में एक कतई आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उनवानी मुकदमा नं. 205/2006 गैंदा बनाम गोविन्दा में पूर्व में हुये निर्णय व डिक्री को अपीलांट कोर्ट द्वारा खारिज फरमा दिया गया और उक्त प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए न्यायालय हाजा में लम्बित है इस तथ्य को प्रतिवादी की जानकारी होते हुए भी छिपाया गया इस कारण भी प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 जा.दी. खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का बरूये वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन किया गया। वाद पत्र के अवलोकन से वादीगण द्वारा भूमि मुतदाविया खाता सं. नया 31 पुराना 30 के आराजी खसरा नं. 624 व 625 कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 हैक्ट. बाबत दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। छायाप्रति निर्णय प्रकरण सं. 205/2006 उनवान गैंदाराम बनाम गोविन्दा दिनांकः 30.08.2008 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त खसरा नंबर 624 एवं 625 बाबत पूर्व में प्रकरण सं. 205/2006 दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवान गैंदाराम बनाम गोविन्दा वगै. न्यायालय हाजा में विचाराधीन होकर निर्णय व डिक्री हो चुका है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट पर वर्तमान में विचाराधीन वाद के वादीगण सं. 1 व 2 के हस्ताक्षर अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर विधिवत निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण को माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांकः21.09.2015 के द्वारा न्यायालय हाजा में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में भी प्रकरण सं. 205/2006 उनवान गैंदाराम बनाम गोविन्दा न्यायालय हाजा में विचाराधीन होकर निर्णय व डिक्री होना अंकित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्र. सं. 245/2021 दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा उनवान जौहरीलाल बनाम गैंदा वगै. के खसरा नं. 624 व 625 कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 हैक्ट. वाके ग्राम मुकरपुरा से संबंधित वाद प्रकरण सं. 205/2006 उनवान गैंदाराम बनाम गोविन्दा पूर्व में न्यायालय हाजा से डिक्री हो चुका है। जिसकी अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहॉ होने पर वाद पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को भिजवाया जा चुका है। जिससे उक्त वाद को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 जा. दी. से प्रभावित है। अतः वादीगण वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)
(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with CamScanner